



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

48AC 122362

**CERTIFICATE**

In pursuance of the order of the collector No. 02 dated 04.04.2014 passed under Section 10-A at the stamp act is certified that an amount of **Rs. 1,18,85,500/-** in words **(Rupees One Crore, Eighteen Lacs Eighty Five Thousand Five Hundred Only)** has been paid by **Radhey Krishna Techno Build Pvt. Ltd. Add. 601-602, Eldeco Corporate Tower, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Pin-226010**, in cash as stamp duty in respect of this instrument in the State Bank of India Lucknow by Challan No. **G-70053** dated **25.08.2014**, a copy of which is annexed herewith.

Lucknow

Dated : 26.08.2014

27-08-2014

Radhey Krishna Techno Build Pvt. Ltd.

Director

आवंटी

Chief Treasury Officer  
Lucknow

मुख्य कोषाधिकारी

मुख्य कोषाधिकारी  
आदर्श कोषागार  
इलेक्ट्रॉनिक, लखनऊ

उप निवास आयुक्त  
पुनर्वसन योजना, लखनऊ

क्रम संख्या..... 14467  
स्टाम्प विनिमय की तिथि..... 23/07/19  
स्टाम्प प्रत्येक करणे क प्रयोजन.....  
स्टाम्प केता का नाम व पुरा पता..... मध्य प्रान्त देवनागरी प्रान्त

स्टाम्प की धरताहि.....  
सुधीर श्रीवास्तव (स्टाम्प विक्रेता)  
लार्जरेन्स नम्बर-21883  
लार्जरेन्स की अर्जा-31-3-2019  
कलेक्ट्रेट कोर्ट लखनऊ



18450/14



63 उत्तर प्रदेश UT



आवंटी

SH



उप आवास आयुक्त  
बृन्दावन योजना, लखनऊ

BX 460237

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद  
किराया-किश्त कय किरायेदारी अनुबन्ध

यह अनुबन्ध आज दिनांक 28 माह अप्रैल दो हजार 2014 को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अधीन संगठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है और जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के जिसे एतत्पश्चात 'स्वामी' कहा गया है, जिस पद के अन्तर्गत जब तक कि कोई बात प्रसंग से असंगत न हो, उसका उत्तराधिकारी या समनुदेशिनी भी है या जिसका तात्पर्य उसके उत्तराधिकारी या समनुदेशिनी भी है।

माध्यम से होता है। एक पक्ष और मैसर्स राधे कृष्ण टेक्नोलॉजिक्स प्रा० लि० द्वारा श्री नवीन गोयल डायरेक्टर पता- 601, एल्लिको कारपोरेट टावर विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ जिसे एतत्पश्चात किराया-किश्त कंता कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत जब तक कि प्रसंग या अर्थ से कोई बात असंगत न हो, इसमें एतत्पश्चात यथा उपबन्धित अनुमोदित नाम निर्देशिनी और उसके न होने पर उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशिनी भी है, दूसरे पक्ष को ही किया गया।

कमरा 2 पर

For Radhey Krishna Technoouild Pvt. Ltd.

आवंटी

Director

उप आवास आयुक्त  
बृन्दावन योजना, लखनऊ

Rs. 100  
ONE HUNDRED

एक सौ रुपये  
100/-

कमल कृष्ण  
24/5/19  
श्री कृष्ण देव. लाल ठाकुर  
स्थान के पते पर

श्री कृष्ण देव. लाल ठाकुर  
श्री कृष्ण देव. लाल ठाकुर

श्री कृष्ण देव. लाल ठाकुर

श्री कृष्ण देव. लाल ठाकुर

श्री कृष्ण देव. लाल ठाकुर  
श्री कृष्ण देव. लाल ठाकुर  
श्री कृष्ण देव. लाल ठाकुर

श्री कृष्ण देव. लाल ठाकुर  
श्री कृष्ण देव. लाल ठाकुर  
श्री कृष्ण देव. लाल ठाकुर



श्री कृष्ण देव. लाल ठाकुर  
श्री कृष्ण देव. लाल ठाकुर

(2)

चूंकि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड आवंटन योजना के अधीन किराया-किश्त कंता ने स्वामी से किराया किश्त कय योजना के अधीन एक ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का आवंटन करने के लिये पृथक रूप से आवेदन किया है और स्वामी ने एतद्वारा निर्धारित नियन्धन और शर्तों पर किराया-किश्त कंता को भूखण्ड का आवंटन करने के लिए आवंटित करने की सहमति दे दी है।

और चूंकि किराया-किश्त कंता ने ₹० 3,95,76,250.00 (शब्दों में केवल ₹० तीन करोड़ पचास लाख छिहत्तर हजार दो सौ पचास मात्र) का भुगतान प्रथम किश्त के रूप में कर दिया है जिसमें पंजीकरण की जमा ब्याना धनराशि एवं उस पर अर्जित ब्याज सम्मिलित है।

उक्त ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं० 17/GH-09 का कुल मूल्य ₹० 16,97,87,500.00 ( ₹० सोलह करोड़ सत्तानवे लाख सत्तरसी हजार पाँच सौ मात्र) जिसका आधा ₹० 8,48,93,750.00 (₹० आठ करोड़ अड़तालिस लाख तिरानवे हजार सात सौ पचास मात्र) होता है। आवंटनी द्वारा यदि किश्तों का नियमित भुगतान नहीं किया जाता है तो उसमें नियमानुसार ब्याज/दण्ड ब्याज भी देय होगा।

अब यह बिलेख इस बात का साक्षी है कि स्वामी एतद्वारा किराया-किश्त कंता से प्रसंगिता करता है और सहमत है और किराया-किश्त भी एतद्वारा स्वामी से निम्नलिखित शर्तों से प्रसंगिता करता है और सहमत है अर्थात्।

1. किराया-किश्त कंता को ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के रूप में सम्पत्ति का जिराकी संख्या 17/GH-09 है और जो वृन्दावन योजना संख्या-4 लखनऊ में सेक्टर संख्या- 17 में स्थित है। और जिसे अधिक स्पष्ट करने के लिये इसमें आगे दी गयी अनुसूची-एक में सीमाओं के साथ अधिक विशिष्ट रूप से बर्णित किया गया है, कब्जा दिया जायेगा।

2- किराया-किश्त कंता उक्त सम्पत्ति किरायेदार के रूप में निम्नलिखित शर्तों के अधीन 25 (त्रैमासिक) की एक नियत अवधि तक ग्रहीत करेगा जो वर्ष दो हजार तेरह के अक्टूबर- 13 मास के प्रथम दिनांक से प्रारम्भ होगी और वर्ष 2016 के सितम्बर मास के अन्तिम दिनांक को समाप्त होगी-

(क) किराया-किश्त-कंता ₹० 1,02,06,607.00 केवल (₹० एक करोड़ दो लाख छः हजार छः सौ सात मात्र) की मासिक किश्त की किसी मांग की प्रतीक्षा किए बिना उसी माह में जिसमें मासिक किश्त देय हो जाय, प्रत्येक माह के प्रथम दिनांक तक स्वामी को कार्यालय में या निर्दिष्ट स्थान पर भुगतान करेगा जिसका ऐसा प्रथम भुगतान इसमें ऊपर उल्लिखित किराया-किश्त कंताद्वारा पहले ही कर दिया गया और जिसे माह अक्टूबर- 13 की प्रथम किश्त के रूप में समझा जाय और ऐसा आगामी भुगतान वर्ष 2013 के माह के नवम्बर- 13 के अन्तिम दिनांक को या उसके पूर्व प्रत्येक फेब्रुअरी मास के हस्ता याद किराया-किश्त कय की अवधि तक देय हो जाय या भुगतान योग्य हो जाय।

कमरा 3 पर

  
Date  
< आवंटनी

उप आवास आयुक्त  
वृन्दावन योजना, लखनऊ

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.



(3)

ख किराया-किश्त को आगटन की योजना में यथा निर्धारित नगरपालिका के या अन्य प्रकार के सभी करों, फीस, प्रभार निर्धारित कर ऐसे अन्य उदग्रहणकी धनराशि का, चाहे यह किसी भी प्रकार की हो, जो स्थानीय निकाय द्वारा या राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी अन्य प्राधिकृत अभिकरणद्वारा उसके सम्बन्ध में भू-स्वामी या किरायेदार को एतद्वारा किराये पर दी गयी उक्त सम्पत्ति पर लगाई गयी हो, प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध प्राधिकारियों को भुगतान करेगा। किराया-केता- स्वामी को सम्पत्ति कर, जल प्रभार, सौंदर्य व्यवस्था के प्रभार का, जैसा कि स्वामी द्वारा समय-समय पर उदग्रहीत किया जाय, भुगतान करेगा। परन्तु किराया-किश्त केता की ओर से ऐसा भुगतान न किये जाने की दशा में स्वामी का ऐसी देय धनराशि को भू-राजस्व के बकाये के रूप में या ऐसी अन्य रीति से जो विधि संगत हो, वसूल करने और उसे किश्त के बकाये के रूप में मानने की शक्ति होगी।

ग किराया-किश्त केता उक्त सम्पत्ति के साथ-साथ सम्भरण, जल निस्सारण, विजली और किन्हीं ऐसी अन्य सेवाओं से सम्बन्धित उसके प्रतिष्ठानों की मरम्मत (जिस पव के अन्तर्गत सामान्य और आवश्यक वार्षिक भीतरी और बाहरी रंगाई और पुताई, सफाई भी)। स्वामी के या ऐसे व्यक्ति के जिसे स्वामी इस प्रयोजनार्थ नियुक्त करे, समन्धानुप्रद रूप से स्वयं अपने खर्च पर करायेगा और उसे समुचित रूप से ठीक दशा और स्थिति में रखेगा।

घ किराया-किश्त केता स्वामी की लिखित अनुमति के बिना उक्त सम्पत्ति के भीतर किसी भी प्रकार का व्यापार या कारोबार नहीं करेगा या करने की अनुमति नहीं देगा या उसका आयासिक उपयोग से गिन किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा या उसमें कोई ऐसा कार्य या ऐसी कोई बात नहीं करेगा या करने देगा जो स्वामी या उसी कालोनी के अन्य ग्रम हाउसिंग भूखण्डों के अध्याक्षियों की या पड़ोसियों की राय में लोक कण्टक हो और जो उस प्रयोजन के अनुरूप न हो जिसके लिये योजना बनाई गई।

ङ किराया-किश्त केता एतद्वारा स्वीकृत अवधि के दौरान सभी सुवितयुक्त समय पर स्वामी या स्वामी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किन्हीं व्यक्तियों को उक्त सम्पत्ति में और उस पर प्रवेश करने की मरम्मत की स्थिति का निरीक्षण करने की अनुमति देगा और यदि ऐसा निरीक्षण करने पर स्वामी को यह प्रतीत हो कि कोई साम्प्रतिक या विशेषमरम्मत आवश्यक है तो स्वामी किराया-किश्त केता को खर्च पर कर वा सकता है और किराया-किश्त केता एतद्वारा स्वामी को ऐसी धनराशि का भुगतान करके जिस स्वामी (जिसका विनिश्चय अभिप्राय होगा) इस निमित्त नियत करे, ऐसे खर्च की प्रतिपूर्ति करने की सहमति देता है।

च किराया किश्त केता स्वामी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को उक्त सम्पत्ति में उस पर ऐसे कर्मकारों के साथ प्रवेश करने की अनुमति देगा जो पाइप - लाइन, सौंदर्य लाइन या कोई विद्युत आपूर्ति लाइन या उससे सम्बन्धित किसी कार्य के लिये कोई सर्विस लाइन विछाने, उसकी मरम्मत करने या उसे निश्चित स्थान पर लगाने के प्रयोजन के साथ-साथ उक्त सम्पत्ति में बिछाई गयी किसी सर्विस लाइन से किन्हीं अन्य सम्पत्ति को जोड़ने के प्रयोजन के लिये आवश्यक हो।

कमरा: 4 पर

For Radhee Prakash Technical Pvt. Ltd.

आवंटी

Director

उप अधिकारी आयुक्त  
वृन्दावन योजना, लखनऊ

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Second block of faint, illegible text.

Third block of faint, illegible text.

Fourth block of faint, illegible text.

Fifth block of faint, illegible text.

Sixth block of faint, illegible text.

Seventh block of faint, illegible text.



६३

१९५५

(4)

छ. किराया-किस्त क्रेता स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना और सम्बद्ध प्राधिकारी को लिखित स्वीकृति या अनुमति के बिना भी उक्त सम्पत्ति में कोई परिवर्तन या परिवर्द्धन नहीं करेगा या करने की अनुमति नहीं देगा।

परन्तु स्वामी अपने विवेकानुसार किसी परिवर्तन या परिवर्द्धन, चाहे जो भी हो, के लिये ऐसी अनुमति देने से इन्कार कर सकता है और उस निमित्त उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।  
ज. किराया-किस्त क्रेता, स्वामी की लिखित पूर्व सहमति के बिना जिसे वह अपने स्पष्ट विवेकानुसार अस्वीकृत करने का हकदार होगा, उक्त सम्पत्ति के सम्पूर्ण या किसी भाग का विधाय, अन्तरण, समनुदेशन नहीं करेगा या कब्जे से अन्यथा अलग नहीं होगा।

परन्तु सहमति दिये जाने की दशा में सम्पत्ति का ऐसा प्रत्येक अन्तरण समनुदेशन केवल इस किरायेदारी की शेष अवधि के लिए होगा और यथास्थिति अन्तरिती या समनुदेशिती इसमें दिये गये निबन्धनों और शर्तों से आवद्ध होगा और उसकी सभी बातों के लिये स्वामी के प्रति उत्तरदायी होगा।

परन्तु यह भी कि ऐसा कोई भी समनुदेशन या अन्तरण वैध या अनुमन्य नहीं होगा जहां समनुदेशिती या अन्तरिती कोई ऐसा व्यक्ति है जो योजना में यथा उपबन्धित पात्रता की अपेक्षाओं को पूरा न करता हो।

झ. किराया-किस्त क्रेता इस किरायेदारी की अवधि के दौरान इसमें नीचे दी गयी अनुसूची-दो में दिये गये किरायेदारी सम्बन्धी अनुबन्धनों का पालन करेगा।

ञ. किराया-किस्त क्रेता किसी भी स्तर पर किन्हीं भी कारणों, से चाहे जो भी हो, जैसा कि योजना में सम्पत्ति के विभव को सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से उपबन्धित है, सम्पत्ति के बारे में ऐसी शिकायत करने से विरत रहेगा जिससे आपत्तियाँ उठें या दावे प्रस्तुत किये जायें।

ट. किराया किस्त क्रेता इस योजना के अधीन उस पर आने वाले ऐसे सभी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा जो इस विलेख का अंग समझे जायेंगे और जिसके बारे में इस अनुबन्ध-पत्र के पक्षकारों के बीच एतद्द्वारा सहमति है।

ड. उक्त सम्पत्ति में किराया-किस्त क्रेता के हित के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकता है, फिर भी किराया-किस्त क्रेता एतद्द्वारा स्वामी को किसी ऐसी सम्भाव्यता के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है।

ड. किराया-किस्त क्रेता किसी भी प्रकार की दुर्घटना के फलस्वरूप उक्त सम्पत्ति को क्षति पहुंचने या उसके नष्ट होने की दशा में एतद्द्वारा स्वामी को किसी भी उत्तरदायित्व से मुक्त करना है।  
कमशा 5 पर

For Mr.

आवंटी

उप आवास आयुक्त  
वृन्दावन योजना, लखनऊ

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.



(5)

परन्तु इस अनुबन्ध के प्रवृत्त रहने तक किराया-किश्त कंता का यह कार्यव्य होगा कि वह इस बात का ध्यान रखे कि भूखण्ड, उपयोग के कारण उचित टूट-फूट को छोड़कर, उसी दशा में बना रहे जिसमें वह प्रारम्भ में सौंपा गया था, किसी प्राकृतिक कारण से या आग लग जाने से क्षति होने की दशा में, किराया-किश्त कंता का यह कार्यव्य होगा कि वह भवन को पुनः उसकी मूल दशा में लाने के लिये आवश्यक मरम्मत कराये। भवन का आग लग जाने के जोखिम के प्रति परिषद द्वारा अनुमोदित बीमा कम्पनी से अतिव्यर्थ रूप से बीमा कराया जायेगा आग लग जाने से क्षति होने की दशा में परिषद का दायित्व उस सम्बन्ध में परिषद को मिलने वाली बीमा की धनराशि तक ही सीमित होगा।

६. किराया-किश्त कंता अपने जीवन काल में लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर से ऐसे नाम निर्देशित को, जिसे वह उक्त सम्पत्ति में, जिससे उसकी मृत्यु हो जाने के स्थिति में भूखण्ड/भवन के भावी स्वामित्व में उसका अधिकार भी सम्मिलित है, अपना अंश या हित अन्तरित करना चाहे, नाम निर्दिष्ट करेगा और उसे आवास आयुक्त के पास जमा कर देगा स्वामी किराया-किश्त कंता

की मृत्यु का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर तदनुसार अन्तरण करेगा जो स्वामी और सार्वजनिक निकायों के प्रति किराया-किश्त कंता के समस्त विद्यमान दायित्वों और बंध्यता के अधीन होगा। इस प्रकार किये गये नाम निर्देशन को विखण्डित किया जा सकता है और किराया-किश्त कंता उपर्युक्त रीति से उसके स्थान पर दूसरा नाम निर्देशन कर सकता है।

परन्तु किराया-किश्त कंता द्वारा ऐसा नाम निर्देशन न किये जाने पर किराया-किश्त कंता के पारिस/कारिसों का स्वामी द्वारा इस विलेख के हिताधिकारी/हिताधिकारियों के रूप में स्वीकार किया जायेगा।

७. किराया-किश्त कंता सभी देयों का जिनका भुगतान इस विलेख के अनुसरण में उसके द्वारा किया जाना अपेक्षित है, पूरा और नियमित भुगतान करेगा किश्तों के भुगतान के लिये उनके देय होने के दिनांक से एक मास की छूट दी जायेगी।

वह किश्त में सम्मिलित साधारण ब्याज के अतिरिक्त प्रदेशन पत्र में उल्लिखित 17 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दण्ड ब्याज के भुगतान का देनदार होगा। यदि भुगतान छूट की अवधि के भीतर न किया जाय तो किराया-किश्त कंता तदनुसार किश्तों के वस्तुतः देय होने के दिनांक से निर्धारित 17 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के भुगतान का देनदार होगा लगातार तीन से अधिक किश्तों का भुगतान करने में व्यक्ति कम होने की दशा में किरायेदारी समाप्त समझी जायेगी और कंता को बंदखल किया जा सकेगा। स्वामी को देय समस्त बकाया धनराशि को भू-राजस्व के रूप में या ऐसी अन्य रीति से, जिसका विधि समर्थन करे, वसूल किया जा सकेगा। किराया-किश्त का जल सम्पूर्ति कनेक्शन तथा विद्युत कनेक्शन भी विच्छेदन किया जा सकेगा तथा निर्धारित शर्तों प्रक्रिया से पुनः तयोजन किया जा सकेगा।

कमरा: 6 पर

आवंटी

उप आवास-आयुक्त  
पृदावन योजना, लखनऊ

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Second block of faint, illegible text in the middle of the page.

Third block of faint, illegible text in the lower middle section.

Fourth block of faint, illegible text near the bottom of the page.



(15) ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों से सम्बन्धित सभी नियम व शर्तें जो समय-समय पर लागू हो, मान्य होंगी।

नोट-(1) अतः शासनादेश सं० दि० क्र० नि 5-2756/11-2008-500(115)-2007 दिनांक 30.06.2008 के अन्तर्गत 7 % की दर से स्टाम्प रूपये 73,13,100.00 अदा किया जा रहा है।

नोट-(2) उक्त ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के आवंटी द्वारा किराया किश्त किरायेदारी अनुबन्ध में प्रयुक्त स्टाम्प एक्ट की धारा-10A के अधीन जिलाधिकारी(म०) लखनऊ के आदेश संख्या-02 दिनांक 04.04.2014 के क्रम में राजकीय व्यवसायिक शाखा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के चालान संख्या-जी-70053 दिनांक 25.08.2014 के विरुद्ध मुख्य कोषाधिकारी कलेक्ट्रेट कोषागार लखनऊ द्वारा दिनांक 27.08.2014 को निर्गत रूपये 1,18,85,500.00 का स्टाम्प प्रमाण पत्र व रूपये 100/- के जनरल स्टाम्प पेपर पर किराया किश्त किरायेदारी अनुबन्ध निष्पादित किया जा रहा है।

वृन्दावन योजना संख्या-4 लखनऊ में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं० 17/GH-09, का कुल क्षेत्रफल 7225.00 वर्ग मीटर है। रु० 21,450.00 X 1000 = रु० 2,14,50,000.00 एवं भूखण्ड का क्षेत्रफल 6225.00 वर्ग मीटर द्वारा निर्धारित सर्किल दर रु० 21,450.00 -30% = 15,015.00 कुल रु० 9,34,68,375.00 प्रति वर्ग मीटर द्वारा निर्धारित भूमि दर रु० 2,14,50,000.00 + 9,34,68,375.00 = रु० 11,44,18,375.00 जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मालियत रु० 11,44,18,375.00 है एवं परिषद द्वारा मालियत रु० 18,97,87,500.00 है जिसपर नियमानुसार 7 प्रतिशत की दर से स्टाम्प प्रमाण पत्र रु० 1,18,85,600.00 किराया किश्त किरायेदारी अनुबन्ध निष्पादित किया जा रहा है।

Director

हस्ताक्षर **आवंटी**

नाम- मैसर्स राधेकुण्ड टेक्नोविल्ड प्रा० लि०  
द्वारा श्री नवीन योग्य डायरेक्टर  
पता- 601, एलडिको कारपोरेट टावर  
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

( लक्ष्मण प्रसाद )  
उप-आवंटी अनुवृत्त  
वृन्दावन योजना, लखनऊ

श्रेणी

Registration No. : 18450

Year : 2014

Book No. : 1

0201 श्रीराधेकृष्ण टेकनीप्रतिद्वारा डा.य.वी.म. गोयल

001 एडिक्ले कारपोरेट टावर विमुक्ति खण्ड गोवती नगर तखनऊ  
जयपुर






Office of The Executive Engineer  
Construction Division-11  
U.P. Avas Evam Vikas Parishad  
Office Complex, Vrindavan Yojna, Sector-9,  
Raibareilly Road, Lucknow

Site Plan of G.H. Plot No. 17/G.H.-09, Sector-17

Vrindavan Yojna No. 4, Lucknow

Name of Allottee: M/s Radhey Krishna Technobuild

Pvt. Ltd.



North: 24.00M Wide Road

South: Plot No. 17/G.H.-08

East: 24.00M Wide Road


West: Plot No. 17/C.C.-01

  
D/Man


Plot Size ..... 85.00 M X 85.00 M

Plot Area ..... 7225.00 ..... Sq.M.

For Radhey Krishna Technobuild Pvt. Ltd.


  
A.E. 17/4/2013  
आवंटी

Director

  
उप-आवास आयुक्त A.E.  
वृन्दावन योजना, लखनऊ  
17/4/2013

आज दिनांक 28/08/2014 को  
वही सं. 1 जिल्द सं. 17759  
पृष्ठ सं. 369 से 394 पर क्रमांक 18450  
रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

  
विनीत दीक्षित (प्रभारी)

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

28/8/2014

